

03-05-18

आवेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक/अभियुक्त देवू उर्फ देवाराम द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अनावेदक की उपस्थिति हेतु नियत है, लेकिन प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 28.10.10 के अनुसार अनावेदक/अभियुक्त अपने अधिवक्ता श्री एम.एल. मुदगल के साथ उपस्थित हो चुका है और उक्त दिनांक को उसकी ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाव पूर्व में ही पेश किया जा चुका है। अतः प्रतिलिपि विपक्ष को प्रदान करते हुये उभयपक्ष को सुना गया।

अनावेदक/अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि वह आपराधिक अपील प्रकरण क्रमांक 42/03 में पूर्व में ही उपस्थित हो चुका है और उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से वह दोषमुक्त हो चुका है एवं वह अत्यंत गरीब एवं हृदय रोग से पीड़ित होकर बीमार रहता है। अतः कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/राज्य की ओर से एजीपी द्वारा उचित राशि राजसात किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकट किया गया कि आपराधिक अपील प्रकरण क्रमांक 42/03 में उक्त अभियुक्त उपस्थित हो गया है और वह दोषमुक्त हो चुका है।

न्यायालय में पदस्थ प्रवर्तन लिपिक श्री ओमप्रकाश शर्मा ने भी संबंधित आपराधिक अपील प्रकरण क्रमांक में अभियुक्त के उपस्थित हो जाने के पश्चात् प्रकरण का निराकरण हो जाना एवं अभियुक्त को दोषमुक्त हो जाना बताया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि आपराधिक अपील प्रकरण क्रमांक 42/03 में नियत पेशी दिनांक 15.02.03 को अपीलार्थी/अभियुक्त/अनावेदक देवू उर्फ देवाराम के अनुपस्थित हो जाने से नियमित उपस्थिति बावत अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत 3000 रुपये के बंधपत्र को न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुये बंधपत्र की राशि राजसात किये जाने हेतु यह विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 36/03 मु0फौ0 अभियुक्त देवू उर्फ देवाराम के विरुद्ध संस्थित किया गया है।

अनावेदक/अभियुक्त ने आपराधिक अपील प्रकरण 42/03 में नियत पेशी दिनांक 15.09.03 को इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाना बताया है कि वह उक्त दिनांक को उसकी बहन की सास खत्म हो जाने के कारण दिल्ली

चला गया था और बाद में वह दिनांक 14.10.03 को न्यायालय के समक्ष स्वतः ही उपस्थित हो गया था और उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से वह उक्त प्रकरण में दोषमुक्त हो चुका हैं एवं वह अत्यंत गरीब एवं हृदय रोग से पीड़ित होकर बीमार रहता है तथा यह प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित होकर अत्यधिक पुराना है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में न्यायहित में अनावेदक/अभियुक्त के 3000/- रुपए के प्रतिज्ञा पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 50/- रुपए (पचास रूपये) की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे।

इसी समय अनावेदक/अभियुक्त की ओर से राजसात की गयी राशि 50/- रुपए रशीद क्रमांक 21 बुक क्रमांक 11232 पर जमा करायी गयी।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड